



# नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(मिनि रत्न, श्रेणी - I, भारत सरकार का उद्यम)

NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPORATION LIMITED

ISO 9001,14001

OHSAS 18001

(A Mini Ratna, Category - I, A Govt. of India Enterprise)

वाणिज्यिक विभाग/COMMERCIAL DEPARTMENT

संख्या नीपको/इडी/वाणिज्यिक/आर-16/2020-21/1746

दिनांक 16.03.2021

सेवा में,

**कार्यपालक निदेशक,**

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर,

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

डोंगटीह, लोअर नोंग्राह, लपालंग,

शिलांग - 793 006.

**विषय : - एमईपीडीसीएल को विद्युत आपूर्ति का विनियमन।**

महोदय,

विभिन्न स्तरों पर निरंतर अनुनय के बावजूद, एमईपीडीसीएल ने नीपको के विद्युत स्टेशनों से खरीद किए गए विद्युत का देय बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रही है।

इसके फलस्वरूप, एमईपीडीसीएल के बकाये में बढ़ोतरी होती रही और 45 दिनों के उपरांत 15-03-2021 को यह बकाया रुपये 156.70 करोड़ प्लस एलपीएस रुपये 347.71 करोड़ हो गया है। 15-03-2021 को कुल बकाया रुपये 504.41 करोड़ है।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, नीपको के पास केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति विनियमन) विनियम, 2010 द्वारा प्रदान किए गए अपने विकल्प का उपयोग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, नीपको के सभी विद्युत स्टेशनों से **20-03-2021 के 00:00 बजे से 6 (छह) महीने** की अवधि या एमईपीडीसीएल, 45 (पैंतालीस) दिनों से अधिक ऐसी किसी अवधि का अपना बकाया भुगतान नहीं कर देता है, जो भी पहले होगा, विद्युत आपूर्ति को चौबीस घंटे विनियमन करने हेतु एमईपीडीसीएल को सूचना दी जाती है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 23/22/2019 आर एण्ड आर (भाग - 4) [255102] दिनांक 01 मार्च, 2021 (प्रति संलग्न) के तहत दिनांक 22-02-2021 को अधिसूचित विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021 के नियम 4 में यह उल्लेख किया गया है कि :

"बशर्ते कि, यदि किसी वितरण लाइसेंसधारी के पास बिल के भुगतान की तारीख से सात महीने की समाप्ति के बाद भी बिल के एवज में विलंब शुल्क सहित कोई भुगतान लंबित होने की स्थिति में जबतक इस तरह के बिल का भुगतान नहीं हो जाता है इसे पावर एक्सचेंज से पावर खरीदने या शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस देने से वंचित किया जाएगा"।

बकाया भुगतान और विलंब भुगतान अधिभार 7 (सात) महीने से अधिक पुराने हैं इसलिए एमईपीडीसीएल को ऐसे बिल का भुगतान होने तक पावर एक्सचेंज से विद्युत की खरीद या शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस देने से वंचित किया जा सकता है।

## विनियमन की मात्रा और स्रोत

विनियमन की मात्रा और स्रोत निम्नानुसार होगा :

विद्युत स्टेशन का नाम	विद्युत की मात्रा(मेगावाट में)
25 मेगावाट कोपिली जल-विद्युत संयंत्र	3.42
50 मेगावाट खांडोंग जल-विद्युत संयंत्र	8.45
405 मेगावाट रंगानदी जल-विद्युत संयंत्र	46.60
75 मेगावाट दोयांग जल-विद्युत संयंत्र	8.59
110 मेगावाट पारे जल-विद्युत संयंत्र	14.66
291 मेगावाट असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (एजीबीपी)	34.38
130 मेगावाट अगरतला संयुक्त चक्रीय गैस टरबाईन संयंत्र (एजीटीसीसीपी)	16.43
600 मेगावाट कामेंग जल-विद्युत संयंत्र	15.00
<b>कुल</b>	<b>147.53</b>

## विनियमन की अवधि

20-03-2021 के 00:00 बजे से 6 (छह) महीने की अवधि या नीपको को एमईपीडीसीएल, 45 (पैंतालीस) दिनों से अधिक ऐसी किसी अवधि का अपना बकाया भुगतान नहीं कर देता है, जो भी पहले होगा।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति विनियमन) विनियम, 2010 के विनियमन 4 के अनुसार नीपको की वेबसाइट <http://www.neepco.co.in> पर यह सूचना उपलब्ध कर दी गई है।

एमईपीडीसीएल को विद्युत आपूर्ति के सीईआरसी विनियमन के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित विनियमन को 20-03-2021 के 00:00 बजे से लागू किया जा सकता है।

यह भी सूचित किया जाता है कि नीपको संपूर्ण मात्रा में या किसी मात्रा में विनियमित विद्युत का व्यापार पावर एक्सचेंज में करने का प्रस्ताव रखता है।

धन्यवाद।

भवदीय

(एन. के. माँव)

कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक)

सेवा में प्रतिलिपि : -

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लि., लुमिंगशाई, शॉर्ट राउंड रोड, शिलांग के कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। यह विनियमन सूचना जारी की जाती है क्योंकि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय 15-03-2021 की समय सीमा के भीतर ऋण की पहली ट्रेच की दूसरी किस्त के संवितरण के लिए मांग पत्र आरईसी और पीएफसी को प्राप्त नहीं हुआ है। यह हमारे पत्र संख्या नीपको/इडी/वाणिज्यिक/आर-02/2020-21/1721 दिनांक 15.03.2021 को रद्द करता है।
2. निदेशक (वित्त), मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लि., लुमिंगशाई, शॉर्ट राउंड रोड, शिलांग के कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. निदेशक (वितरण), मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लि., लुमिंगशाई, शॉर्ट राउंड रोड, शिलांग के कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. सदस्य सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति, एनईआरपीसी परिसर, डोंग परमाव, लपालंग, शिलांग के कृपया सूचनार्थ।

(एन. के. माँव)

कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक)